सत्यमेव जयते

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पिछले आठ वर्षों के दौरान मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां

माननीय प्रधान मंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी

कैबिनेट मंत्री

श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी

राज्य मंत्री

श्री अर्जुन राम मेघवाल

राज्य मंत्री

श्री वी. मुरलीधरन

संसदीय कार्य मंत्रालय

पिछले आठ वर्षों के दौरान मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां

विषयसूची

1 मंत्रालय का राजनीतिक नेतृत्व

2 विधायी कार्य

3 संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम

4 लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले

5 शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले

6 आश्वासन (लोक सभा और राज्य सभा)

7 अनुसंधान संबंधी गतिविधियां

8 युवा संसद

9 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

10 सांसद परिलब्धियां

11 परामर्शदात्री समितियां

12 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

13 प्रोटोकॉल और कल्याण

14 संविधान दिवस समारोह

15 अनुबंध

पिछले आठ वर्षों के दौरान मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां

संसद में सरकार की ओर से विविध सरकारी कार्य दक्षतापूर्वक संभालने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार, यह मंत्रालय संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

1. मंत्रालय का राजनीतिक नेतृत्व

हमें इस लोक सभा के दौरान तीन कैबिनेट मंत्रियों द्वारा निर्देशित होने का लाभ मिला है जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में सभी कार्य किए गए हैं। श्री वेंकैया नायडू ने भारत के उप-राष्ट्रपति बनने के लिए इस मंत्रालय का प्रभार त्याग दिया था। श्री अनंत कुमार के दुखद निधन के बाद श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। 17वीं लोक सभा के गठन के बाद श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला है।

1. श्री एम. वेंकैया नायडू (26.05.2014 से 05.07.2016)
2. श्री अनंत कुमार (05.07.2016 से 12.11.2018)
3. श्री नरेंद्र सिंह तोमर (13.11.2018 से 30.05.2019)
4. श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी (30.5.2019 से अब तक)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा	**राज्य सभा**
श्री संतोष कुमार गंगवार (26.05.2014 से 09.11.2014)	श्री प्रकाश जावड़ेकर (26.05.2014 से 09.11.2014)
श्री राजीव प्रताप रूडी (09.11.2014 से 05.07.2016)	श्री मुख्तार अब्बास नकवी (09.11.2014 से 03.09.2017)
श्री एस.एस. अहलुवालिया (05.07.2016 से 03.09.2017)	श्री विजय गोयल (03.09.2017 से 30.05.2019)
श्री अर्जुन राम मेघवाल (03.09.2017 से 30.05.2019)	
श्री अर्जुन राम मेघवाल (30.5.2019 से आज तक)	श्री वी. मुरलीधरन (30.5.2019 से आज तक)

2. विधायी कार्य

16वीं और 17वीं लोक सभा की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं/उपलब्धियां

- इस सरकार द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय रेल बजट और आम बजट का विलय करना और आम बजट को 1 फरवरी तक अग्रानीत करना था। इसने बजट चक्र को जल्दी पूरा करने का मार्ग प्रशस्त किया है तथा मंत्रालयों और विभागों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही स्कीमों की बेहतर आयोजना और निष्पादन सुनिश्चित करने योग्य बनाया है तथा पहली तिमाही सहित पूर्ण कार्य सत्र की उपयोगिता को सक्षम बनाया है।

- संसदीय कार्य मंत्रालय ने 30 जून 2017 की मध्यरात्रि में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माल और सेवा कर (जीएसटी) के शुभारंभ से संबंधित कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए इतिहास रचा था। इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से माननीय राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था और इसमें संसद सदस्य, उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए थे।

- 17वीं लोक सभा का पहला सत्र ऐतिहासिक रहा था क्योंकि इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 विधेयक पारित किए गए थे जो नई लोक सभा के गठन के पश्चात अकेले पहले सत्र में एक कीर्तिमान है।
- जम्मू और कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 370 और उसके तहत राष्ट्रपति के आदेशों के कुछ उपबंधों का, विशेषकर भारत के संविधान के उपबंधों और सभी सामाजिक-आर्थिक विधानों की अनुप्रयोज्यता के प्रत्यावर्तन के साथ निराकरण किया गया और इस प्रकार कानून और निष्पक्षता का शासन सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने और आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य का दो संघ राज्य क्षेत्रों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के सृजन के साथ पुनर्गठन किया गया है।
- संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए 26 नवंबर, 2019 को एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था।

- अनुच्छेद 85 की संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने और अत्यावश्यक विधायी और अन्य कार्य निष्पादित करने के लिए, मानसून सत्र, 2020 और बजट सत्र, 2021 एवं बजट सत्र, 2022 का पहला भाग बैठने संबंधी और लॉजिस्टिक्स संबंधी असाधारण व्यवस्था करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजित किया गया।
- दोनों सदनों के समय को भी इस प्रकार नियत किया गया कि दोनों सदन सत्र के दौरान प्रतिदिन अपनी बैठकें कर सकें। तदनुसार, मानसून सत्र, 2020 के दौरान लोक सभा की बैठकें 14 सितंबर, 2020 को छोड़कर रोजाना दोपहर 3.00 बजे से 7.00 बजे (यदि आवश्यक हुआ तो विस्तारित समय सहित) तक हुईं। 14 सितंबर, 2020 को लोक सभा की बैठक सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक हुई थी। राज्य सभा की बैठकें 14 सितंबर, 2020 को छोड़कर रोजाना सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे (यदि आवश्यक हुआ तो विस्तारित समय सहित) तक हुईं। 14 सितंबर, 2020 को राज्य सभा की बैठक दोपहर 3.00 बजे से 7.00 बजे तक हुई थी।
- बजट सत्र, 2021 के दौरान लोक सभा की बैठकें 29.01.2021 और 01.02.2021 को छोड़कर रोजाना दोपहर 4.00 बजे से 9.00 बजे (यदि आवश्यक हुआ तो विस्तारित समय सहित) तक हुईं और राज्य सभा की बैठकें 29.01.2021 और 01.02.2021 को छोड़कर रोजाना सुबह 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे (यदि आवश्यक हुआ तो विस्तारित समय सहित) तक हुईं। बजट सत्र 2022 के दौरान लोक सभा की बैठकें 31.01.2022 और 01.02.2022 को छोड़कर रोजाना दोपहर 4.00 बजे से 9.00 बजे (यदि आवश्यक हुआ तो विस्तारित समय सहित) तक हुईं और राज्य सभा की बैठकें 31.01.2022 और 01.02.2022 को छोड़कर रोजाना सुबह 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे (यदि आवश्यक हुआ तो विस्तारित समय सहित) तक हुईं। हालांकि इन दोनों सत्रों के दूसरे भाग के दौरान, सदनों के समय को सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामान्य अर्थात पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 6.00 बजे (यदि आवश्यक हुआ तो विस्तारित समय सहित) कर दिया गया था।
- वर्तमान सरकार ने पुराने, बेमानी और अप्रचलित कानूनों को क़ानून की किताबों से हटाकर एक तरह का कीर्तिमान बनाया है। कुल 1486 पुराने और निरर्थक कानूनों को निरस्त कर दिया गया है।

पिछले आठ वर्षों के दौरान निष्पादित विधायी कार्य का सारांश

संसद का विधायी कार्य	लोक सभा	राज्य सभा	कुल
16वीं लोक सभा			
पुर:स्थापित किए गए विधेयक	219	18	237
पारित किए गए विधेयक	205	154	359
दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक	180*		
17वीं लोक सभा			
पुर:स्थापित किए गए विधेयक	139	23	162
पारित किए गए विधेयक	149	136	285
दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक	146*		

* विवरण अनुबंध में देखा जा सकता है।

पिछले आठ वर्षों के दौरान अधिनियमित किए गए अन्य महत्वपूर्ण विधानों का क्षेत्रवार विवरण

(i) कृषि सुधार:

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का उपबंध करता है, जिसमें कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज के दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंतःराज्यिक व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करता है और इलैक्ट्रानिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढ़ांचे का उपबंध करता है। लोक सभा में कार्य मंत्रणा समिति ने माननीय अध्यक्ष को विधेयक हेतु समय आबंटित करने के लिए अधिकृत किया था। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा राज्य सभा में कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 के साथ चर्चा के लिए 4 घंटे आबंटित किए गए थे। दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा के लिए लिया गया था। 44 सदस्यों ने लोक सभा में 5 घंटे 36 मिनट तक बहस में भाग लिया। राज्य सभा में 33 सदस्यों ने बहस में भाग लिया और 4 घंटे 14 मिनट के लिए विधेयकों पर चर्चा की गई।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि कारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों के संरक्षण और उनको सशक्त बनाने वाले कृषि करारों पर राष्ट्रीय रूपरेखा का उपबंध करता है। लोक सभा में कार्य मंत्रणा समिति ने माननीय अध्यक्ष को विधेयक हेतु समय आबंटित करने के लिए अधिकृत किया था। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा राज्य सभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 के साथ चर्चा के लिए 4 घंटे आबंटित किए गए थे। दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा के लिए

लिया गया था। 44 सदस्यों ने लोक सभा में 5 घंटे 36 मिनट तक बहस में भाग लिया। राज्य सभा में 33 सदस्यों ने बहस में भाग लिया और 4 घंटे 14 मिनट के लिए विधेयकों पर चर्चा की गई।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 कृषि क्षेत्र में तत्काल निवेश को बढ़ावा देगा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करेगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 23 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 6 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 41 मिनट चर्चा की गई।

कृषि विधि निरसन अधिनियम, 2021 किसानों के एक समूह के विरोध को देखते हुए और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में सभी को समावेशी प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने के उद्देश्य से, किसानों के समग्र विकास हेतु सितंबर, 2020 में संसद द्वारा पारित किए गए तीन कृषि कानूनों अर्थात कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को निरस्त करने के लिए यह विधेयक पुर:स्थापित और पारित किया गया। विधेयक को लोक सभा में बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में चर्चा में एक सदस्य ने भाग लिया और विधेयक पर 07 मिनट चर्चा की गई।

(ii) स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2016 - अधिनियम, 2014 की मुख्य विशेषताएं हैं: (i) उन्नीस विनिर्दिष्ट नि:शक्तताएं परिभाषित की गई हैं, (ii) नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समानता का अधिकार, गरिमामय जीवन, उसकी सत्यनिष्ठा के आदर का अधिकार आदि जैसे विभिन्न अधिकारों का उपयोग किया जाना, (iii) समुचित सरकार के कर्तव्य और जिम्मेदारियां प्रगणित की गई हैं, (iv) समुचित सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नि:शक्त बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगी, (v) नि:शक्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय निधि का प्रस्ताव किया गया है, (vi) केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डों के माध्यम से नीति निर्माण में पणधारियों की भागीदारी, (vii) प्रत्येक स्थापन में संदर्भित नि:शक्तता वाले व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए रिक्तियों में विद्यमान तीन प्रतिशत के आरक्षण को बढ़ाकर पांच प्रतिशत तक करना तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में संदर्भित नि:शक्त छात्रों के लिए स्थानों में आरक्षण करना, (viii) शिकायत प्रतितोष तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना करना और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए क्रमश: मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त को प्रतिस्थापित करते हुए प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन की निगरानी करना, (ix) विनिर्दिष्ट नि:शक्तताओं के प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत, (x) नि:शक्त व्यक्तियों के विरूद्ध किए गए अपराधों के लिए शास्तियां, और (xi) अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय के रूप में सेशन न्यायालय को पदाभिहित किया जाना।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 - इस विधेयक में एक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एमएमसी), चार स्वायत्त बोर्डों अर्थात स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी), स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी), चिकित्सा निर्धारण और मूल्यांकन बोर्ड (एमएआरबी) तथा नीति और आयुर्विज्ञान पंजीकरण बोर्ड

(ईएमआरबी) और एक आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद के गठन का उपबंध शामिल है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- रोटेशन के आधार पर राज्यों और राज्य परिषदों के पारदर्शी तंत्र और प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुना गया एक सुगठित निकाय। इससे तेजी से निर्णय लेने में सुविधा होगी।
- संतुलित नीति निर्देशों के लिए विविध पृष्ठभूमि वाले सदस्यों को शामिल करना।
- एक बार और पूर्ण समय के लिए चुने गए नियामकों के हितों का कोई टकराव नहीं होगा।
- स्वायत्त बोर्डों और आयोग के बीच शक्तियों का पृथक्करण, मानकों के निर्धारण को भी निरीक्षण करने और अनुमति देने से अलग किया गया है।
- आयोग के समक्ष अपने विचारों और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए राज्यों की आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद।
- प्रक्रियाओं के सरलीकरण से देश में स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है जो देश की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
- विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 4 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 30 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और विधेयक पर 6 घंटे 7 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 24 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 56 मिनट चर्चा की गई।

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 तीन आयुर्वेद संस्थानों अर्थात (i) आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, (ii) श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर और (iii) भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर का आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान नाम के एक संस्थान में आमेलन का प्रस्ताव करता है। विधेयक इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 34 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 22 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटे 15 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का निरसन करता है और एक आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रणाली का उपबंध करता है जो (i) भारतीय चिकित्सा पद्धति के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता, (ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाया जाना, (iii) चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन, और (iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करती है। विधेयक को 14.01.2019 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। 27.11.2019 को राज्य सभा में रिपोर्ट पेश की गई थी और लोक सभा के पटल पर रखी गई थी। इस विधेयक पर चर्चा (राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020 के साथ) के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 33 मिनट चर्चा की गई (राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020 के साथ)। राज्य सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई (राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020 के साथ)।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का निरसन करता है और एक आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रणाली का उपबंध करता है जो (i) पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले होम्योपैथिक चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता, (ii) होम्योपैथिक चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाना, (iii) चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन, और (iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करती है। विधेयक को 14.01.2019 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। 27.11.2019 को राज्य सभा में रिपोर्ट पेश की गई थी और लोक सभा के पटल पर रखी गई थी। इस विधेयक पर चर्चा (राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020 के साथ) के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 33 मिनट चर्चा की गई (राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020 के साथ)। राज्य सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई (राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020 के साथ)।

गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 - यह विधेयक निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं का प्रस्ताव करता है:

(क) गर्भधारण के बीस सप्ताह तक गर्भ के समापन हेतु एक पंजीकृत चिकित्सक की राय की आवश्यकता;

(ख) गर्भावस्था के बीस से चौबीस सप्ताह के गर्भ के समापन हेतु दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय की आवश्यकता।

(ग) अधिनियम के नियमों के तहत निर्धारित की जाने वाली महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए गर्भ समापन की ऊपरी समय-सीमा को बीस से बढ़ाकर चौबीस सप्ताह करना।

(घ) ऐसे मामलों में गर्भ की अवधि के संबंध में उपबंधों का लागू न होना जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान की गई किसी महत्वपूर्ण भ्रूण असामान्यता के कारण गर्भ का समापन आवश्यक हो।

(ड.) जिस महिला का गर्भ समाप्त किया गया है उसकी गोपनीयता की सुरक्षा को मजबूत करना।

(च) महिलाओं और उसके साथी को प्रदान किया गया गर्भनिरोधक की विफलता का खंड।

(छ) इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 14 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 11 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 - यह विधान सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शामिल विभिन्न व्यवसायों के लिए एक नियामक निकाय के निर्वात का समाधान करेगा। राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021, 10 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत और राष्ट्रीय आयोग की सहायता करने के लिए अपनी-अपनी वृतिक परिषदों के माध्यम प्रतिनिधित्व करने वाले 56 संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों की शिक्षा और सेवाओं को विनियमित और मानकीकृत करने के लिए "राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा वृत्ति आयोग" नामक एक सामान्य विनियामक निकाय का प्रस्ताव करता है। साथ ही, प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवर्तन के छह महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत यथा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक राज्य परिषद का गठन करेगी जिसे राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य-सेवा परिषद कहा जाएगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक

सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 51 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 10 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटे 34 मिनट चर्चा की गई।

सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी सेवाओं की सुरक्षित और नैतिक प्रक्रिया और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों और राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना करने के लिए। लोक सभा में 18 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 51 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 14 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और विधेयक पर सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021 के साथ 2 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 देश में सरोगेसी सेवाओं को विनियमित करने, सरोगेट माताओं के संभावित शोषण पर रोक लगाने और सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। लोक सभा में 19 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 18 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 14 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और विधेयक पर सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021 के साथ 2 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई।

(iii) सामाजिक और लैंगिक न्याय सुधार

इस अवधि के दौरान, भारत में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 वर्तमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का निरसन करता है और अन्य बातों के साथ-साथ बालकों की देखरेख और संरक्षण के सामान्य सिद्धांतों, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंड बालकों और कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में प्रक्रियाओं, ऐसे बालकों के लिए पुनर्वास और सामाजिक पुन:एकीकरण उपायों, अनाथ, बेघर और परित्यक्त बालकों को गोद लिए जाने और बालकों के विरूद्ध किए गए अपराधों का उपबंध करने के लिए एक व्यापक विधान पुन: अधिनियमित करता है। इस प्रकार यह कानून बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बालकों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर कठिन परिस्थितियों में बालकों की उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक पुन: एकीकरण सुनिश्चित करेगा।

संविधान (102वां संशोधन) अधिनियम, 2018 - अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उपबंध करने हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए अर्थात (क) नया अनुच्छेद 338 अंत:स्थापित करना ताकि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा सके जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल होंगे। उक्त आयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों की सुनवाई करेगा, जिसे अब तक अनुच्छेद 338 के खंड (10) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सुना जाता था; और (ख) एक नए अनुच्छेद 342क अंत:स्थापित करना ताकि यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग माना जाएगा।

दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 - इसके लिए प्रावधान करना:- (क) बलात्कार के अपराध के लिए न्यूनतम सात साल से दस साल तक की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है; (ख) सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला पर बलात्कार के अपराध के लिए सजा कम से कम बीस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; (ग) बारह साल से कम उम्र की महिला पर बलात्कार के अपराध के लिए सजा कम से कम बीस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास होगी, लेकिन आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास तथा जुर्माना या मौत के साथ; (घ) सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला पर सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए सजा आजीवन कारावास होगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना होगा; (ड.) बारह वर्ष से कम उम्र की महिला पर सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए सजा आजीवन कारावास होगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास तथा जुर्माना या मृत्यु के साथ; (च) बलात्कार के सभी मामलों के संबंध में जांच पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी; (छ) बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच या परीक्षण दो महीने की अवधि के भीतर पूरा करना; (ज) बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के खिलाफ अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उसका निपटारा करना; (झ) सोलह और बारह वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के मामलों में अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं होंगे; (ञ) सौलह वर्ष, बारह वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के मामलों, बार-बार ऐसे अपराध करने वालों, से संबंधित सोलह वर्ष, बारह वर्ष, दोहराए जाने वाले अपराधियों, प्राथमिकी के अनिवार्य पंजीकरण की प्रयोज्यता का विस्तार करने, पीड़ित को भुगतान करने के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने, साक्ष्य की बेहतर रिकॉर्डिंग की सुविधा और बलात्कार पीड़ित की गरिमा की रक्षा करने और अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार के संबंध में भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में परिणामी संशोधन।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 -अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने वाला अधिनियम।

स्वीय विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 - विवाह विच्छेद अधिनिमय, 1869 (1869 का 4), मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939 (1939 का 8), विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43), हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25), हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) में संशोधन करना ताकि उनमें निहित उन उपबंधों का विलोप किया जा सके जो कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण है।

संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 - संविधान के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और उनके लिए राज्य के तहत सेवाओं में प्रारंभिक नियुक्ति में पदों में आरक्षण का उपबंध करने के लिए।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 - विधेयक ने कुछ मुस्लिम पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों को तलाक देने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक, तात्कालिक और अपरिवर्तनीय तलाक के प्रभाव वाला) की सदियों पुरानी प्रथा को दांडिक बनाया है।

मुख्य विशेषताएं

1. अधिनियम मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को किसी भी रूप में, चाहे वह बोला गया हो, लिखा गया हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में दिए गए तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत - तीन बार तलाक का उच्चारण करना) को अमान्य और गैर कानूनी बनाता है। (धारा 3)
2. अधिनियम में अपनी पत्नी को तीन तलाक देने वाले मुस्लिम पति के लिए तीन वर्ष की जेल की सजा के साथ-साथ जुर्माने का उपबंध किया गया है। (धारा 4)
3. यह अधिनियम असंतुष्ट मुस्लिम पत्नी को उसके पति से अपने लिए और आश्रित बालकों के लिए ऐसे निर्वाह भत्ते का अधिकार देता है, जैसा कि मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाए और यह अधिकार किसी अन्य कानून के तहत उसकी ऐसी हकदारी की परवाह किए बिना होगा। (धारा 5)
4. एक मुस्लिम पत्नी अपने पति द्वारा तीन तलाक के उच्चारण की स्थिति में अपने नाबालिग बालकों की उस रीति में अभिरक्षा लेने की भी हकदार है जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाए और उसका यह अधिकार किसी अन्य कानून के तहत उसके इसी तरह के अधिकार की परवाह किए बिना होगा। (धारा 6)
5. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय है, जहां मुस्लिम पत्नी, जिसे तीन तलाक सुनाया जाता है, या उसके खून के रिश्ते या विवाह के रिश्ते के किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध करने से संबंधित सूचना दी जाती है। (धारा 7)
6. अधिनियम के तहत अपराध, जिस मुस्लिम महिला को तीन तलाक दिया गया है उसकी सूचना पर ऐसे नियम और शर्तों पर, जैसी कि निर्धारित की जाएं, मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ प्रशम्य है। (धारा 7)
7. एक अभियुक्त पति को मजिस्ट्रेट द्वारा उस मुस्लिम पत्नी, जिसे तीन तलाक दिया गया है, की सुनवाई के पश्चात ही जमानत देने के उचित कारणों से संतुष्ट होने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। (धारा 7)
8. इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 28 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 6 घंटे 03 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 37 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 29 मिनट चर्चा की गई।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 - एक उभयलिंगी व्यक्ति को परिभाषित करता है और उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 52 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 03 मिनट चर्चा की गई।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम, 2019 - निकोटीन की अत्यधिक नशे की लत की प्रकृति पर विचार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और ऐसी ही अन्य चीजों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण

और विज्ञापन का निषेध करना है। यह विधान सतत विकास के लक्ष्यों, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निगरानी ढांचे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी सफल होगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 03 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 28 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 36 मिनट चर्चा की गई।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 - अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता के पात्र बनाता है और उन्हें भारत में एक गरिमापूर्ण जीवन का हकदार बनाता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 4 घंटे और राज्य सभा में 6 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 48 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 7 घंटे 28 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 44 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 8 घंटे 43 मिनट चर्चा की गई।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 विभिन्न अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का उपबंध करता है ताकि अपराधियों को रोका जा सके और एक बालक के लिए सुरक्षा, संरक्षण और सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित किया जा सके। यह केंद्र सरकार को किसी भी रूप में ऐसी अश्लील सामग्री, जिसमें बालक शामिल हो, का विलोप करने या उसे नष्ट करने या निर्दिष्ट प्राधिकारी को उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए नियम बनाने का भी अधिकार देता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में चार-चार घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 29 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 52 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 28 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 - तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करता है। विधेयक देवेंद्रकुलाथन समुदाय के लिए प्रविष्टि को देवेंद्रकुल वेलालार के साथ प्रतिस्थापित करता है, जिसमें ऐसे समुदाय शामिल हैं जो वर्तमान में अधिनियम के अंतर्गत अलग से सूचीबद्ध हैं। ये हैं: (i) देवेंद्रकुलाथन, (ii) कल्लादी, (iii) कुदुंबन, (iv) पल्लन, (v) पन्नाड़ी, और (vi) वथीरियन। अलग प्रविष्टियों का विलोप कर दिया गया है। 1950 के आदेश में राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में कदाइयान समुदाय भी शामिल है। विधेयक कदाइयान समुदाय के लिए निवास के आधार पर भेद करता है। कदाइयान समुदाय के लिए अलग प्रविष्टि को (i) तिरुनलवेली, (ii) थूथुकुडी, (iii) रामनाथपुरम, (iv) पुदुकोट्टई, (v) तंजावुर, (vi) तिरुवरुर और (vii) नागपट्टिनम जिलों के कदाइयान समुदाय से प्रतिस्थापित किया गया है। अन्य जिलों में रहने वाले कदाइयान समुदाय के सदस्यों को देवेन्द्रकुल वेलालार समूह में शामिल किया गया है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 1 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 7 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 10 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटे 20 मिनट चर्चा की गई।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2021 - दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010, जो झुग्गी-झोंपड़ी समूहों से संबंधित है, को जहां तक इसका इन समूहों की विद्यमानता की तारीख से संबंध है, 2011 के अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन प्रक्रिया के अधीन है। इसी प्रकार फार्म हाउसों, विशेष क्षेत्रों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के अन्य

सभी क्षेत्रों के लिए परिकल्पित कार्रवाई विचाराधीन है और उसे पूरा करने में कुछ और समय लगेगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2011, 31 दिसंबर, 2020 तक वैध था और जहां पर्याप्त उपाय अभी किए जाने हैं वहां उन अप्राधिकृत गतिविधियों के संरक्षण को बनाए रखना आवश्यक था। यह विधेयक अधिनियम, 2011 को 01.01.2021 से 31.12.2023 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए तक विस्तारित करेगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 1 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 27 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 7 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 विधायिका और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देगा, और जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक स्कीम के अनुरूप निर्वाचित सरकार और उप-राज्यपाल की जिम्मेदारियों को आगे और परिभाषित करेगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 23 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 35 मिनट चर्चा की गई।

संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 2021 स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची / केंद्र शासित प्रदेश सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है। लोक सभा में 43 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 7 घंटे 54 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 33 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 उपबंध करता है कि अदालत के बजाय, जिला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित) दत्तक के ऐसे आदेश जारी करेगा। विधेयक में कहा गया है कि गंभीर अपराधों में ऐसे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिए अधिकतम सजा सात साल से अधिक का कारावास कैद है और न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है या सात साल से कम है। लोक सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 58 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 अरूणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए। लोक सभा में 7 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 10 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 7 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 15 मिनट चर्चा की गई।

(iv) राष्ट्रीय/आंतरिक सुरक्षा

इस क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि और मानवाधिकारों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए **राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019** [इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 58

मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 22 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 46 मिनट चर्चा की गई], **विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019** [इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 33 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 26 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 23 मिनट चर्चा की गई] और **मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019** [इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 15 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 32 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 58 मिनट चर्चा की गई] को पारित किया गया।

आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 कानून के उल्लंघन की प्रभावी रोकथाम करने के अलावा आग्नेयास्त्रों से संबंधित या उनका प्रयोग करके किए गए अपराधों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 12 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई।

(v) श्रम सुधार

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2017 - निम्नलिखित का उपबंध करने हेतु प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने के लिए:

(i) उन महिलाओं के मामले में मातृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि को वर्तमान बारह सप्ताह की सीमा से बढ़ाकर छब्बीस सप्ताह करना जिनके दो से अनधिक जीवित बालक हैं और दूसरे मामलों में बारह सप्ताह का मातृत्व लाभ जारी रहेगा।

(ii) "दत्तक माता" और "अधिकृत माता" को मातृत्व अवकाश के दायरे में लाने के लिए और वे शिशु के सौंपे जाने की तारीख से बारह सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी।

(iii) एक समर्थकारी उपबंध अंत:स्थापित करके माता को "घर से कार्य" की सुविधा प्रदान करना।

(iv) पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान के संबंध में इतनी दूरी, जो नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, के भीतर व्यक्तिगत रूप से या साझा सामान्य सुविधा के रूप में क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाना और साथ ही आराम हेतु अंतराल सहित महिला द्वारा प्रतिदिन चार बार शिशु गृह में जाने की अनुमति देना;

(v) प्रत्येक स्थापना अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभों के बारे में प्रत्येक महिला को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय लिखित रूप में और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगी।

मजदूरी संहिता अधिनियम, 2019 - वर्तमान विधेयक में 4 श्रम अधिनियमों, अर्थात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को शामिल किया गया है। यह वर्तमान समय में अनुसूचित नियोजन के कर्मचारियों के मुकाबले सभी क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी को सर्वव्यापी बनाता है। केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करनी है। सामान्यत: 5 वर्षों के अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी का संशोधन। मजदूरी के समय पर भुगतान के उपबंधों की सार्वभौमिक अनुप्रयोज्यता।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 - इस विधेयक में कारखानों, खदानों, डॉक, निर्माण कार्य कर्मकारों, वृक्षारोपण, मोटर ट्रांसपोर्ट, बीड़ी और सिगार, संविदागत मजदूरों और अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारों से संबंधित 13 श्रम संबंधी अधिनियम शामिल हैं। संहिता में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा मानकों पर विचार किया गया है जैसे कि वेंटीलेशन, पेयजल, कार्य के घंटे, ओवरटाइम के घंटे, छुट्टी, अवकाश आदि। कल्याणकारी उपबंध: कैंटीन, क्रेच, विश्राम कक्ष, प्राथमिक उपचार इत्यादि। नियोक्ता द्वारा अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र देने का उपबंध। कर्मचारियों या कर्मचारियों के वर्ग या प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग में निर्धारित आयु से ऊपर के कर्मचारियों के लिए यथा निर्धारित जांच आदि के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई जिसकी लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जाएगी। नियोक्ताओं, कर्मचारियों, विनिर्माताओं आदि के कर्तव्य। मानद पंजीकरण सहित प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, संविदागत कर्मकारों, कारखानों, बीड़ी और सिगार के लिए सामान्य लाईसेंस। "कर्मकार", "प्रतिष्ठान", "उद्योग" के मामले में विभिन्न अधिनियमों में परिभाषाओं को युक्तिसंगत बनाया गया है। परिभाषाओं को 13 अधिनियमों में 160 के मुकाबले 65 तक कम किया गया है। 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, बागान कामगार अधिनिमय और कारखाना अधिनियम सहित 6 केंद्रीय अधिनियमों के तहत अलग-अलग पंजीकरणों के स्थान पर एक पंजीकरण।

(i) उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता में अनुप्रयोज्यता सीमा की एकरूपता लाने के लिए अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार की अनुप्रयोज्यता को 10 पर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, जो अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार है उसके वेतन की सीमा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(ii) पंजीकरण की मांग करते समय डेटा के संग्रह के उद्देश्य के लिए, एक प्रतिष्ठान को अपने प्रतिष्ठान में कार्यरत अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारों की संख्या सूचित करनी होगी।

(iii) निम्नलिखित को शामिल करने के लिए अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार की परिभाषा का व्यापक विस्तार: (क) ठेकेदार के माध्यम से भर्ती (ख) सीधे नियोक्ता द्वारा भर्ती (ग) अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार दूसरे राज्य में रोजगार के लिए स्वयं आता है।

(iv) अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार के हितलाभ के दायरे को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है: (क) उपयुक्त सरकार द्वारा तय की जाने वाली अवधि में अपने प्रायिक स्थान का दौरा करने के लिए प्रवासी कर्मकार द्वारा यात्रा किए जाने के लिए एकमुश्त भत्ता और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों की पोर्टेबिलिटी प्रदान करने और एक राज्य में भवन और अन्य सन्निर्माण के कार्य में नियोजित और दूसरे राज्य में जाने वाले कर्मकार को लाभ देने की पोर्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा एक योजना तैयार किया जाना। मौजूदा ठेका श्रम अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्य के लिए बार-बार लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत को समाप्त करके "वर्क ऑर्डर" से नहीं जुड़ा एक अखिल भारतीय लाइसेंस शुरू किया गया। सभी ऑडियो-विज़ुअल कर्मकारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मकारों को शामिल करने के लिए सिने कर्मकारों के दायरे का विस्तार किया गया है। पांच श्रम अधिनियमों के तहत कई समितियों का एक राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड में विलय किया गया है। राज्य सलाहकार बोर्ड का उपबंध किया गया है। विभिन्न अधिनियमों में क्रेच, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा, कल्याण अधिकारी आदि जैसे कल्याणकारी उपबंधों की अनुप्रयोज्यता की विभिन्न सीमाओं को युक्तिसंगत बनाया गया है। अपराध शमन की शुरूआत की गई है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति में परिणत होने वाले संहिता के

उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए न्यायालय द्वारा शास्ति का एक हिस्सा पीड़ित या पीड़ित के कानूनी वारिसों को दिया जा सकता है। वेब आधारित निरीक्षण की शुरूआत की गई। और विवरणियों की संख्या को कम किया गया।

(v) इस विधेयक को 7.10.2019 को श्रम और रोजगार संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। 11.12.2020 को लोक सभा में रिपोर्ट पेश की गई थी और राज्य सभा के पटल पर रखी गई थी। इस विधेयक पर औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के साथ चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 3 घंटे 02 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 8 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 42 मिनट चर्चा की गई।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 - वर्तमान विधेयक में 9 श्रमिक अधिनियम शामिल हैं जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम शामिल हैं। यह सामाजिक सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचे वाले विधान का सृजन करने का प्रस्ताव करता है। नियोक्ता/कर्मचारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा योगदान के चरणबद्ध सार्वभौमिकरण के लिए एक अधिकार आधारित प्रणाली। सरकार वंचित वर्ग के श्रमिकों के लिए योगदान कर सकती है। विधेयक को 23.12.2019 को श्रम और रोजगार संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। 31.07.2020 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसे 15.09.2020 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस विधेयक पर औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के साथ चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 3 घंटे 02 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 8 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 42 मिनट चर्चा की गई।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 - वर्तमान विधेयक में श्रम संबंधी 3 अधिनियम, अर्थात् औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; व्यापार संघ अधिनियम, 1926; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 शामिल हैं। अनुशासन संहिता को प्रतिस्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ट्रेड यूनियनों या ट्रेड यूनियनों के संघ की मान्यता, बातचीत करने वाले संघ / परिषद की मान्यता की अवधारणा पेश की गई। कर्मकार की परिभाषा (पर्यवेक्षक घोषित करने के लिए सीमा अधिसूचित की जाएगी) और उद्योग की परिभाषा (बैंगलोर वाटर सप्लाई केस)। नियत अवधि नियोजन कर्मकार श्रेणी में छंटनी किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए री-स्किलिंग फंड शामिल है। एक दिन में 50% या अधिक कर्मकारों द्वारा आकस्मिक अवकाश को हड़ताल के रूप में माना जाएगा। जांच न्यायालय, समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालयों जैसे न्यायनिर्णय करने वाले कई निकायों को प्रतिस्थापित करके औद्योगिक अधिकरण की स्थापना। उपयुक्त सरकार द्वारा औद्योगिक अधिकरण को विवाद के संदर्भ को समाप्त किया गया। दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण। प्रत्येक व्यष्टिगत सदस्य छंटनी, कामबंदी, हड़ताल आदि से संबंधित मामलों को छोड़कर, सभी मामलों का न्यायनिर्णय कर सकता है। पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का विवाद औद्योगिक अधिकरण के दायरे में शामिल किया गया जैसा कि ट्रेड यूनियनों द्वारा मांग की गई थी। सभी प्रकार की हड़तालों और तालाबंदी के लिए 14 दिनों के नोटिस की अवधि का अंत:स्थापन जो पहले केवल जनोपयोगी सेवाओं के लिए आवश्यक था। अपराध शमन के उपबंधों की शुरूआत। इस विधेयक पर सामाजिक सुरक्षा, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा,

स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के साथ चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 3 घंटे 02 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 8 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयकों पर 42 मिनट चर्चा की गई।

(vi) परिवहन क्षेत्र संबंधी सुधार

इस क्षेत्र से संबंधित अधिनियमित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधान निम्न प्रकार हैं:-

मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अर्थदंड और जुर्माने को बढ़ाने और मुसीबत में मदद करने वालों के संरक्षण का उपबंध करने के अलावा सड़क सुरक्षा, नागरिक सुविधा, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, स्वचालन और कम्प्यूटरीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 4 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 27 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 13 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 33 मिनट चर्चा की गई।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 - प्रमुख विमानपत्तनों, जिनमें प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन से अधिक यात्री आते हों, की परिभाषा में संशोधन के अलावा विमानपत्तनों पर अवसंरचना परियोजनाओं में निजी भागीदारों को शामिल करने के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रणाली को अपनाने का अधिकार देने के लिए। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 7 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 18 मिनट चर्चा की गई।

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 - भारत में नौवहन हेतु सहायता के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए उपबंध करना; नेविगेशन हेतु सहायता ऑपरेटर के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए, इसके ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकास; समुद्री संधियों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, और अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के तहत दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। लोक सभा में 43 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटे 20 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 6 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 33 मिनट चर्चा की गई।

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 - अंतर्देशीय जल के माध्यम से किफायती और सुरक्षित परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देता है, देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग और नेविगेशन से संबंधित कानून के अनुप्रयोग में एकरूपता लाने के लिए, नेविगेशन की सुरक्षा, जीवन और कार्गो की सुरक्षा, और अंतर्देशीय जहाजों के उपयोग या नेविगेशन से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम, अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण, सर्वेक्षण, पंजीकरण, मैनिंग, नेविगेशन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए। लोक सभा में विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 9 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 32 मिनट चर्चा की गई।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 - "महापत्तन" की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ताकि हवाई अड्डों के एक समूह के लिए भी टैरिफ निर्धारित करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया जा सके, जिससे छोटे हवाई अड्डों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। लोक सभा में विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 9 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 17 मिनट चर्चा की गई।

(vii) प्रशासनिक क्षेत्र संबंधी सुधार

संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम, 2015 - भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच किए गए समझौते और इसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा क्षेत्रों के अधिग्रहण को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संविधान में और संशोधन करना और कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश में स्थानांतरित करना।

निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 - संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 2015 से भारतीय क्षेत्र में 51 बांग्लादेशी परिक्षेत्रों और बांग्लादेशी क्षेत्र में 111 भारतीय परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान हुआ।

नतीजतन, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 26 अगस्त, 2015 को 51 पूर्व बांग्लादेशी परिक्षेत्रों के क्षेत्र के एकीकरण के लिए, कुछ मौजूदा मौजों में और कुछ नए मौजों का निर्माण करके एक अधिसूचना जारी की। भारत और बांग्लादेश द्वारा किए गए एक संयुक्त क्षेत्र दौरे के दौरान, यह पता चला था कि भारतीय क्षेत्र में समाहित हुए पूर्व बांग्लादेशी परिक्षेत्रों में रह रहे सभी 14864 व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता हासिल करने का विकल्प चुना है। इसी तरह, बांग्लादेश में स्थानांतरित किए गए भारतीय परिक्षेत्रों में रहने वाले 39176 व्यक्तियों में से 987 व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता बनाए रखने और भारत में पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार जिले में बसने का विकल्प चुना।

संविधान के अनुच्छेद 170 के खंड (2) के अनुसार, जो यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, उक्त जिले के भीतर आने वाले नए क्षेत्रों को संबंधित संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा में शामिल किया जाना है। इसी तरह, बांग्लादेश को हस्तांतरित क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रखा जाना है। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता हासिल करने या बनाए रखने का विकल्प चुना है, उन्हें भारत में मतदान का अधिकार दिया जाना आवश्यक है। ऊपर उल्लिखित परिणामी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और मई, 2016 के महीने में पश्चिम बंगाल राज्य में आसन्न चुनावों को देखते हुए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम, 2002 में पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार जिले में समामेलित क्षेत्रों में सीमित परिसीमन करने के लिए चुनाव आयोग को सशक्त बनाने के लिए संशोधन किए गए।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 - वरिष्ठ नीतिगत पदों पर आसीन सिविल सेवकों को प्रत्यावर्तन या सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से ऐसे पदों पर नहीं रहने के बाद भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के संबंध में कोई भी छानबीन या जांच करने से पहले केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की सुरक्षा का विस्तार करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क में संशोधन करने के लिए।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों का नक्शा बनाकर जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का उपबंध करने की मांग करता है।

जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग एक बहुत ही कठिन भूभाग और बहुत कम आबादी वाला एक बड़ा क्षेत्र था और उस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाए ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें। उस मांग को पूरा करने के लिए, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के कारगिल और लेह जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर बिना विधानमंडल के लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया।

इसके अलावा, व्याप्त आंतरिक सुरक्षा की स्थिति तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में सीमापार से आतंकवाद को दिए जा रहे प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए, कारगिल और लेह जिलों के क्षेत्रों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया।

यह विधेयक राज्य के कुछ कानूनों को संशोधन या बिना संशोधन के अपनाने या राज्य के कुछ कानूनों को निरस्त करने के अलावा कुछ केंद्रीय कानूनों को संशोधन या बिना संशोधन के लागू करने की भी मांग करता है ताकि नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों को भारत के संविधान के जनादेश का पालन करते हुए शेष भारत की तरह समान कानूनों के अनुसार शासित किया जा सके।

इस विधेयक पर लोक सभा में 34 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 8 घंटे 22 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 44 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 7 घंटे 21 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में कुछ अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने के उद्देश्य से सरकार ने निवासियों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता का समाधान करने के लिए **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति मान्यता) अधिनियम, 2019** अधिनियमित किया था। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में तीन-तीन घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 25 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 38 मिनट चर्चा की गई।

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019 - उपबंध करता है कि एस.पी.जी. अब प्रधानमंत्री और उनके सरकारी आवास पर उनके साथ रह रहे उनके परिवार के सगे सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। यह किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को भी उनको आबंटित आवास पर उनके साथ रह रहे उनके परिवार के सगे सदस्यों सहित उनके द्वारा प्रधानमंत्री के पद को छोड़े जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 51 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 27 मिनट चर्चा की गई।

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 2019 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले और दस वर्षों अर्थात 25 जनवरी, 2030 तक सीटों के आरक्षण को जारी रखकर संविधान के

संस्थापकों द्वारा कल्पना किए गए रूप में समावेशी चरित्र को बनाए रखने के लिए। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 30 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 12 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 32 मिनट चर्चा की गई।

आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 - विधेयक में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:

1. किसी व्यक्ति की वास्तविक आधार संख्या को छुपाने के लिए प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न वैकल्पिक संख्या का उपबंध करना;
2. अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बालकों को अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प प्रदान करना;
3. प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन या अन्य रीति (रीतियों) द्वारा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग का उपबंध करना;
4. आधार संख्या का प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन केवल आधार संख्या धारक की सूचित सहमति से किया जा सकता है;
5. प्रमाणीकरण से इनकार करने या असमर्थ होने के कारण सेवाओं से इनकार की रोकथाम;
6. प्रमाणन करने के लिए सुरक्षा उपायों और प्रतिबंधों को रखना;
7. ऑफ़लाइन सत्यापन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना;
8. प्राधिकरण को ऐसे निर्देश देने की शक्ति प्रदान करना जैसे उसके द्वारा आधार पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी इकाई के लिए आवश्यक माने जाएं;
9. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कोष की स्थापना करना;
10. सूचना साझा करने पर प्रतिबंधों को बढ़ाना;
11. दीवानी शास्तियों, उनके अधिनिर्णय और अपील का उपबंध करना;
12. आधार अधिनियम की धारा 57 का विलोप करना;
13. टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत स्वीकार्य अपने ग्राहक को जानें (के.वाई.सी.) दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देना;
14. सब्सिडी, लाभ या सेवा, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत राज्य की समेकित निधि से व्यय किया जाता है, की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को अनुमति देना।
15. इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में तीन-तीन घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 32 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 26 मिनट चर्चा की गई।

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2019 - संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषता, धारा 4 में, उपधारा (ठ) में खंड (ख) का विलोप किया जाएगा, खंड (घ) को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: - "(घ) लोक सभा में उस रूप में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता या जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है, उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।" मूल अधिनियम की धारा 5 में, निम्नलिखित

उपबंध अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात: -"परंतु यह कि धारा 4 की उपधारा (ठ) के खंड (छ) के अंतर्गत नामित किसी न्यासधारी के कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त किया जा सकता है।" इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 25 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 23 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 38 मिनट चर्चा की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 - हर साल हजारों करोड़ रुपये के विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाकर अनुपालन तंत्र को मजबूत करके और समाज के कल्याण हेतु कार्य कर रहे वास्तविक गैर-सरकारी संगठनों या संघों की सहायता करते हुए मौजूदा अधिनियम के उपबंधों को सरल और कारगर बनाएगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 1 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 41 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 6 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 50 मिनट चर्चा की गई।

बांध संरक्षा अधिनियम, 2021 - बांध विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का उपबंध और उनका सुरक्षित कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2021 - एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का लाभ उस महीने के पहले दिन से प्रदान करने के लिए जिसमें वह वेतनमान के पहले कॉलम में निर्दिष्ट आयु पूरी करता है, न कि उसमें निर्दिष्ट आयु में प्रवेश करने के पहले दिन से, जैसे कि उच्च न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई है। लोक सभा में 27 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटा 41 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 50 मिनट चर्चा की गई।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021 - एनडीपीएस अधिनियम की सही व्याख्या और कार्यान्वयन की दृष्टि से, धारा 27क में 'खंड (viiik)' के स्थान पर 'खंड (viiikख)' को प्रतिस्थापित करके अधिनियम की धारा 27क में विसंगति को दूर करने के लिए। लोक सभा में 28 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटा 35 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 14 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 07 मिनट चर्चा की गई।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 - लोक हित में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल में, प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि को मिलाकर कुल पांच वर्ष पूरे होने तक एक समय पर एक वर्ष तक की अवधि के विस्तार का उपबंध करने के लिए। लोक सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 के साथ 4 घंटा 58 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 07 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 04 मिनट चर्चा की गई।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 - लोक हित में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल में, प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि को मिलाकर कुल पांच वर्ष पूरे होने तक एक समय पर एक वर्ष तक की अवधि के विस्तार का उपबंध करने के लिए। लोक सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021 के साथ 4 घंटा 58 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 9 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 31 मिनट चर्चा की गई।

निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 - विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन के खतरे को रोकने के लिए मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का उपबंध करने के लिए। लोक सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 26 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 11 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 57 मिनट चर्चा की गई।

दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 - आपराधिक मामलों में शनाख्त और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों का माप लेने हेतु अधिकृत करने के लिए और अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए और उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए। लोक सभा में 22 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटा 59 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटा 45 मिनट चर्चा की गई।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 - (i) तीन नगर निगमों को एक एकल, एकीकृत और अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई में एकीकृत करने; **(ii)** समन्वित और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित करने; **(iii)** दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और नागरिक सेवा का अधिक कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए। लोक सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटा 45 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटा 37 मिनट चर्चा की गई।

(viii) आर्थिक क्षेत्र/कारोबार करने में सुविधा संबंधी उपाय

इस अवधि के दौरान, देश में आर्थिक भावना का समाधान करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण विधान पारित किए गए।

प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 - प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करते हुए उससे संबंधित कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रावधानों को और मजबूत करने के लिए सेबी अधिनियम, 1992 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है, जो सेबी बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाने का प्रावधान करता है: (क) न केवल प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों या संस्थाओं से बल्कि उन व्यक्तियों से भी जानकारी मांगना जो सीधे तौर पर प्रतिभूति बाजार से जुड़े नहीं हैं; (ख) उन मामलों में निवेशकों की प्रभावी सुरक्षा का उपबंध करना जहां निवेशकों से जुटाए गए धन का धोखाधड़ी से विचलन होता है; और (ग) सामूहिक निवेश योजनाओं की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसी योजनाएं, जो भोले-भाले निवेशकों की कीमत पर फल-फूल रही हैं, पर अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा, मामलों की बड़ी संख्या में विचाराधीनता को देखते हुए, त्वरित जांच के लिए प्रतिभूति कानूनों के तहत अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालयों का

गठन किया जाएगा। इससे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में परिणामी परिवर्तन भी किया जाएगा।

अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) अधिनियम, 2015 - अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) अधिनियम, 2015 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है, अर्थात् (i) किसी विदेशी आस्ति के संबंध में आय के छिपाए जाने पर कर की रकम के तीन गुणा के बराबर शास्ति (अर्थात् अप्रकटित आय या अप्रकटित आस्ति के मूल्य का नब्बे प्रतिशत), अधिरोपित की जाएगी। विदेशी आस्ति धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी देने में असफल रहने पर, विवरणी में विदेशी आस्ति को प्रकट करने में असफल रहने पर या ऐसी आस्तियों की गलत विशिष्टियां देने पर दस लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की जाएगी; (ii) अधिनियम में वर्धित दंड के साथ आपराधिक दायित्व किसी विदेशी आय के संबंध में कर अपवंचन के स्वैच्छिक प्रयास के लिए तीन वर्ष से लेकर दस वर्ष तक के कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किसी विदेशी आस्ति धारण करते हुए भी आय की विवरणी देने में असफल रहने, विदेशी आस्ति प्रकट करने में असफल रहने का अपराध या विदेशी आस्ति की गलत विशिष्टियां देने पर छह मास से लेकर सात वर्ष तक के कठिन कारावास से दंडित होगा। ये उपबंध उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को भी लागू होंगे जो निवासी भारतीयों की विदेशी आय के छिपाए जाने या मिथ्या दस्तावेज तैयार करने में सहायता प्रदान करते हैं; (iii) द्वितीय और पश्चात्वर्ती अपराध तीन वर्ष से दस वर्ष की अवधि के कठिन कारावास से और पांच लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। अभियोजन की कार्यवाहियों में यह उपधारणा की जाएगी कि वह स्वैच्छिक प्रकृति का व्यतिक्रम है और यह साबित करना अभियुक्त पर होगा कि उसमें उसकी सदोष मनःस्थिति नहीं है; (iv) जांच और अन्वेषण को सुकर बनाने के लिए प्रस्तावित विधान के अधीन प्राधिकारियों में प्रकटीकरण और निरीक्षण करने, कमीशन निकालने, समन जारी करने, हाजिर कराने, साक्ष्य पेश करने, लेखा बहियों और दस्तावेजों को जब्त करने की शक्तियां निहित की गई हैं; (v) केन्द्रीय सरकार को, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचना के आदान-प्रदान, कर की वसूली और दोहरे कराधान के परिवर्जन के संबंध में भारत के बाहर अन्य देशों, विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों और संगमों के साथ करार करने के लिए सशक्त किया गया है; (vi) अधिनियम में, दुरुपयोग के रोके जाने के रक्षोपायों को सन्निविष्ट किया गया है। सूचना जारी किए जाने और सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाना, विभिन्न कार्रवाइयों के कारणों को लेखबद्ध किया जाना और लिखित में आदेश पारित किया जाना आज्ञापक होगा। आय-कर अपील अधिकरण को और अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को विधि के सारवान् प्रश्नों पर अपील करने का उपबंध किया गया है; (vii) उन व्यक्तियों को, जिनके विदेशों में खाते हैं और उनमें बहुत ही कम अतिशेष है तथा जिनके बारे में अनदेखी या अनभिज्ञता के कारण बताया नहीं जा सका है, दांडिक परिणामों से संरक्षित किया गया है। (viii) अधिनियम में धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (धन-शोधन निवारण अधिनियम) का प्रस्तावित विधान के अधीन कर अपवंचन के अपराध को धन-शोधन निवारण अधिनियम के अधीन एक अनुसूचित अपराध के रूप में सम्मिलित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह अधिनियमन से अप्रकटित विदेशी आय तथा ऐसी अप्रकटित विदेशी आय से अर्जित आस्तियों पर कर लगाने और धन बनाने के अवैध साधनों में जिससे कि राजस्व को हानि कारित होती है में लगे व्यक्तियों को दंडित करने में केन्द्रीय सरकार समर्थ होगी। इससे देश के बाहर रखी ऐसी अवैध आय और आस्तियों का ऐसे रूपों में उपयोग किए जाने पर रोक भी लगेगी, जो भारत के सामाजिक, आर्थिक और सामरिक हितों तथा उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहितकर हैं।

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 - आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है, अर्थात् (क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को

अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने पर व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करना; (ख) ऐसे लाभ, सब्सिडी और सेवाओं के परिदान हेतु, जिस पर किया गया खर्च या उससे प्राप्ति भारत की संचित निधि का हिस्सा होती है, किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार संख्या जरूरी होना; (ग) आधार संख्या धारक की आधार संख्या का उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के संबंध में प्रमाणीकरण; (घ) उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में कार्य करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना जिसमें एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे; (ड.) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में व्यक्तियों की जानकारी का इस तरह से रखरखाव और अद्यतनीकरण जैसा कि नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए; (च) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संग्रहीत जानकारी सहित प्राधिकरण के कब्जे में या नियंत्रणाधीन जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित उपाय; तथा (छ) प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराध और दंड।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 - यह अधिनियम विधिमान्य कारबार संव्यवहारों को सुकर बनाने के लिए नीलमी के माध्यम से दिए जाने से भिन्न माध्यम से प्रदत्त आबद्ध खनन पट्टों के अंतरण का उपबंध करता है। यह पट्टा क्षेत्र में खनिज विष्ठाओं के पाटन को सम्मिलित करके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए "पट्टाधीन क्षेत्र" को भी परिभाषित करता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 - कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक समयबद्ध तरीके से उनके दिवाला समाधान और पुनर्गठन से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने, क्रेडिट की उद्यमिता उपलब्धता को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना करने के लिए।

बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 - संपत्ति को बेनामी धारित किए जाने को प्रतिषिद्ध करने और बेनामी धारित संपत्ति के प्रत्युद्धरण या अंतरण के अधिकार को निर्बंधित करने तथा बेनामी धारित संपत्ति के अधिहरण हेतु एक तंत्र तथा प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 का संशोधन करने के लिए।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 - यह विधेयक टैरिफ के मामले में अधिक लचीलापन रखने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की पहली अनुसूची में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि रफ मार्बल और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों/स्लैबों और ग्रेनाइट ब्लॉकों/स्लैबों सहित निर्दिष्ट टैरिफ मदों के तहत आने वाले सभी सामानों पर सीमा शुल्क की टैरिफ दर को 10% से बढ़ाकर 40% किया जा सके जो डब्ल्यू.टी.ओ. की बाध्यकारी दर है।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 - संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान हेतु राज्यों को प्रतिकर का उपबंध करने के लिए।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 - भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों की अधिकारिता से बाहर रहते हुए भारत में विधि की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए, भारत में विधि शासन की पवित्रता की परिरक्षा हेतु उपाय करने का और उससे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाला अधिनियम।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 - अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा, विकास को बढ़ावा देगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, पुंजी बाजार में स्थिरता लाएगा और पुंजी बाजार में धन के अंतर्वाह में बढ़ोतरी करेगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 23 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 54 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 11 मिनट चर्चा की गई।

चिटफंड (संशोधन) अधिनियम, 2019 - चिटफंड क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुगम बनाएगा और उसके माध्यम से अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की बृहतर वित्तीय पहुंच को आसान बनाएगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 36 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 5 घंटे 51 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 26 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे चर्चा की गई।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 - पूर्व कानून को निरस्त करके और उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करके उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को पुनर्जीवित करने; अनुचित व्यापार प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले उपभोक्ता नुकसान की रोकथाम करने के लिए और वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों के कठोर परिवर्तन से निपटने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में "मध्यस्थता" के लिए अतिरिक्त प्रावधान के अलावा उत्पादों के प्रत्याहार, प्रतिदाय और वापसी का प्रवर्तन करने सहित वर्गीय कार्रवाई शुरू करने के लिए। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 25 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 55 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 22 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 45 मिनट चर्चा की गई।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 - भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवाओं के लिए एक बाजार विनियमित और विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना करेगा। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 05 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 36 मिनट चर्चा की गई।

नई दिल्ली माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 [इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 10 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 16 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019 के साथ 4 घंटे 40 मिनट चर्चा की गई], **माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019** [इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 48 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019 के साथ 4 घंटे 41 मिनट चर्चा की गई] और **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019** [इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा

समिति द्वारा लोक सभा में 4 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 23 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 22 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 48 मिनट चर्चा की गई] वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली और गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंधन प्रणाली को क्रमश: बढ़ावा देने और मजबूत करने का उपबंध करते हैं और इस प्रकार कारोबार करने में आसानी और निवेशकों के बीच विश्वास बहाली को आसान बनाने के लिए आगे बढ़ाया गया एक बड़ा कदम हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2019 मूल अधिनियम के तहत व्यक्ति की परिभाषा में "न्यास अथवा संस्था" को शामिल करने की मांग करता है ताकि उन उद्यमियों की सीमा में विस्तार किया जा सके जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित कर सकते हैं। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 51 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 27 मिनट चर्चा की गई।

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 व्यवसाय के सामान्य क्रम में ली गई जमा राशियों के अलावा अन्य अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए व्यापक तंत्र उपलब्ध कराता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 23 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 45 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 22 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 33 मिनट चर्चा की गई।

खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के मामले में एक नए पट्टेदार को दो साल की अवधि के लिए सभी वैध अधिकार, अनुमोदन, मंजूरी, लाइसेंस आदि के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने का उपबंध करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में इसे बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 10 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 38 मिनट चर्चा की गई।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 का प्रयोजन, यदि कंपनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन में जाती है, दिवाला को रोकने के लिए कॉर्पोरेट देनदारों को लास्ट माइल फंडिंग के पुनर्भुगतान में सर्वोच्च प्राथमिकता देना, वित्तीय लेनदारों के कुछ वर्गों द्वारा संहिता के संभावित दुरुपयोग का निवारण करना, कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमा चलाने और कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए कॉरपोरेट देनदार और सफल समाधान आवेदक की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के विरूद्ध प्रतिरक्षा उपलब्ध कराना और कॉरपोरेट दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को भरना है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में इसे बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 11 मिनट चर्चा की गई।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 न केवल सरकार के लिए समय पर राजस्व पैदा करके लंबित कर विवादों के समाधान का प्रस्ताव करता है बल्कि इस तरह के विवाद समाधान का विकल्प चुनकर करदाता भी बचाए गए समय, ऊर्जा और संसाधनों का अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग करने में सक्षम होंगे।

इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 3 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 30 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 10 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 35 मिनट चर्चा की गई।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 प्रबंधन, पूंजी, लेखापरीक्षा और परिसमापन के संदर्भ में सहकारी बैंकों पर आरबीआई के विनियामक नियंत्रण का विस्तार करने का प्रस्ताव करता है ताकि सहकारी बैंकों के बेहतर प्रबंधन और उचित विनियमन का उपबंध किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी बैंकों के मामलों का संचालन ऐसे तरीके से किया जाए जो व्यावसायिकता में वृद्धि, पूंजी तक पहुंच को सक्षम करने, प्रशासन में सुधार और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सार्थक बैंकिंग सुनिश्चित करते हुए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करे। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 32 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 27 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 6 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 42 मिनट चर्चा की गई।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के तहत मामूली प्रक्रियात्मक या तकनीकी खामियों को दीवानी चूक में समाप्त करने का प्रस्ताव करता है; और अदालतों की समग्र विचारधीनता पर विचार करते हुए, ऐसे मामलों में, जहां अन्यथा धोखाधड़ी का कोई तत्व कम हो या बड़े सार्वजनिक हित शामिल नहीं हों, जिनका निष्पक्ष रूप से निर्णय किया जा सकता हो, चूक के मामले में आपराधिकता को समाप्त करता है। इसके अलावा, कारपोरेट्स को जीवन-यापन करने में अधिक सुगमता प्रदान करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 4 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 21 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 26 मिनट चर्चा की गई।

अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग का प्रवर्तन उपलब्ध कराकर भारतीय वित्तीय बाजारों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 1 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 9 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 12 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 5 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 52 मिनट चर्चा की गई।

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों में छूट) अधिनियम, 2020 प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और बेनामी संपत्ति संव्यवहारों से संबंधित विनिर्दिष्ट अधिनियमों के कतिपय उपबंधों में छूट का उपबंध करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 9 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 3 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 11 मिनट चर्चा की गई।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 - तीव्र आर्थिक विकास के लिए खनन क्षेत्र को इसकी पूर्ण क्षमता में विकसित करने का प्रस्ताव करता है। विधेयक में खनिज क्षेत्र की क्षमता का

पूरी तरह से उपयोग करने, कोयला सहित खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ाने, राज्यों का राजस्व बढ़ाने, खदानों के उत्पादन और समयबद्ध परिचालन में वृद्धि करने, पट्टेदारी के परिवर्तन के बाद खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखने, खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति को बढ़ाने और काफी समय से लंबित पड़े उन मुद्दों का हल करने की मांग करता है जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास को मंद कर दिया है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में तीन-तीन घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 26 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 11 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 4 घंटे 1 मिनट चर्चा की गई।

बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और बीमा क्षेत्र के विकास के लिए घरेलू दीर्घकालिक पूंजी, प्रौद्योगिकी और कौशल में वृद्धि करने की सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के लक्ष्य को पूरा करना और इसके माध्यम से भारतीय बीमा कंपनियों में सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने के लिए विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करके बीमा निवेश और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 4 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 35 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 43 मिनट चर्चा की गई।

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधिनियमित होने के बाद हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारक पक्षकारों को (i) जहां अंतर्निहित माध्यस्थम करार, संविदा या पंचाट निर्णय धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित हो वहां पंचाट निर्णय के प्रवर्तन पर बिना शर्त के रोक की मांग करने; (ii) मध्यस्थ की मान्यता के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंडों को निर्धारित करने वाली अधिनियम की आठवीं अनुसूची का विलोप करने; और (iii) योग्यता, अनुभव और मानदंडों को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करने का अवसर मिल सके। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 15 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 28 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 31 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक अधिनियम, 2021 बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण हेतु अपेक्षित बॉन्ड्स और व्यूत्पन्न बाजारों के विकास सहित भारत में दीर्घकालिक गैर-अवलंब बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के विकास में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय वित्त पोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक की स्थापना करने और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के कारोबार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता है।

मुख्य विशेषताएं:

(क) विकास और वित्तीय उद्देश्य दोनों।

(ख) 100% भारत सरकार की हिस्सेदारी के साथ शुरू करना, लेकिन सरकार न्यूनतम 26% के स्वामित्व में आगे बढ़ रही है।

(ग) प्रोफेशनल बोर्ड।

(घ) बोर्ड में अध्यक्ष और गैर सरकारी निदेशकों के रूप में प्रख्यात व्यक्तियों की कल्पना की गई है।

(ड.) परियोजनाओ के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के लिए उपयुक्त उत्पादों का विस्तृत समूह।

(च) 5 वर्षों में एक बार प्रदर्शन की अनिवार्य समीक्षा।
(छ) कम लागत के वित्तपोषण के लिए रियायतें और सहायता।
(ज) निजी डीएफआईज की स्थापना के लिए एक ही स्थान।
(झ) मूल्यांकन और निगरानी में प्रौद्योगिकी पर ध्यान।
(ञ) लोक सभा में 17 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 42 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 12 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 48 मिनट चर्चा की गई।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 - विधेयक में भारत में महापत्तनों के विनियमन, संचालन और आयोजना और ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को महापत्तन प्राधिकरण के बोर्डों में निहित करने और उससे जुड़े या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करता है।

इस विधेयक का उद्देश्य महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को निरस्त करना था ताकि भारत में महापत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को पुनर्जीवित किया जा सके।

भारत के महापत्तन हमारे देश के लिए आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। महापत्तन आयात और निर्यात का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं। वर्तमान में भारत के महापत्तनों को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा न्यासी बोर्ड के "न्यास" के तहत 'सर्विस पोर्ट मॉडल' को लागू करने की दृष्टि से 1960 में अधिनियमित किया गया था। बोर्ड की शक्तियां सीमित हैं और केंद्र सरकार से नीतिगत मामलों पर निदेशों की आवश्यकता है। न्यासी बोर्ड के वर्तमान मॉडल में परिचालन संबंधी बाधाएं हैं और आधुनिक आर्थिक परिदृश्य में, महापत्तन पहले से ही पत्तनों के क्षेत्र में उन्नति और विकास को ध्यान में रखते हुए और निजी पत्तनों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 7 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 41 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 22 मिनट चर्चा की गई।

पोतों का पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 - विधेयक का उद्देश्य पोतों के पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करके और ऐसे मानकों के प्रवर्तन हेतु सांविधिक तंत्र तैयार करके पोतों के पुनर्चक्रण के विनियमों का प्रवर्तन करना है। विधेयक में निम्नलिखित उपबंध शामिल हैं:

(क) पोत निर्माण और संचालन के दौरान खतरनाक पदार्थों के रखरखाव और उनके उपयोग संबंधी नियम और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण।
(ख) केवल अधिकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं में पोतों का पुनर्चक्रण।
(ग) पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और कल्याण के लिए पर्याप्त उपायों का उपबंध सुनिश्चित करना और नियमित एवं अस्थायी श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत और व्यापक बीमा कवरेज।
(घ) पर्यावरणीय रूप से सही और सुरक्षित तरीके से पोतों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया।
(ड.) पोतों के पर्यावरणीय रूप से सही और सुरक्षित पुनर्चक्रण के उपबंधों के उल्लंघन के लिए वैधानिक दंड।

(च) इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में तीन-तीन घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 53 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 42 मिनट चर्चा की गई।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 उपबंध करता है कि यदि लेनदेन 28 मई, 2012 से पहले किया गया है तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए उक्त पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई कर मांग नहीं उठाई जाएगी। लोक सभा में विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 32 मिनट चर्चा की गई।

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अधिक से अधिक निजी भागीदारी का उपबंध करता है और बीमा निवेश और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाता है और पॉलिसी धारकों के हितों को बेहतर ढंग से सुरक्षित करता है और अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में योगदान देता है। लोक सभा में विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 7 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 12 मिनट चर्चा की गई।

निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं द्वारा अपने स्वयं के धन तक आसान और समयबद्ध पहुंच को सक्षम बनाता है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि भले ही कोई बैंक अस्थायी रूप से उस पर लगाए गए अधिस्थगन जैसे प्रतिबंधों के कारण अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो, जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। लोक सभा में विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 7 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 15 मिनट चर्चा की गई।

सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 कुछ अपराधों को दीवानी चूक में परिवर्तित करता है और इन अपराधों के लिए सजा की प्रकृति को भी परिवर्तित करता है। यह छोटे एलएलपी को भी परिभाषित करता है, कुछ निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति और विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है। लोक सभा में विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 9 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 24 मिनट चर्चा की गई।

फेक्टर विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021 विशेष रूप से व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के माध्यम से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से मदद करना चाहता है। कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है और देश में रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है। लोक सभा में विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 5 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 14 मिनट चर्चा की गई।

(ix) शिक्षा सुधार

इस अवधि के दौरान भारत में शिक्षा सुधारों को और मजबूत करने के लिए भी कुछ विधेयक पारित किए गए।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 - पुन: परीक्षा के लिए अतिरिक्त शिक्षा के अवसर प्रदान करने के बाद बालक को पांचवीं और/आठवीं कक्षा में रोकने के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 में संशोधन करने के लिए।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 का उद्देश्य संस्कृत के तीन मानद विश्वविद्यालयों अर्थात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति को संस्कृत और शास्त्री शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में अपग्रेड करना है। इससे बेहतर संकाय मिलने, विदेशी छात्रों, संस्कृत के विद्वानों, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विदेशी संकाय को आकर्षित करने और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग में मदद मिलेगी। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 2 घंटे और राज्य सभा में 1 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 28 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 58 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 2 घंटे 30 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक संस्था को, अध्ययन और अनुसंधान को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने तथा अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान अध्ययन, विधि, अपराध विज्ञान तथा अन्य आनुषंगिक क्षेत्रों में और प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्ता की संस्था स्थापित और घोषित करने का उपबंध करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में एक-एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। इसे लोक सभा में बिना चर्चा के पारित किया गया था। राज्य सभा में 5 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 18 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उसकी राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा करने और उसके निगमन का उपबंध करने का प्रस्ताव करता है। विश्वविद्यालय का अनुसंधान तथा विभिन्न पणधारियों के साथ सहयोग के माध्यम से नई जानकारी का सृजन करने और पुलिस व्यवस्था, दांडिक न्याय प्रणाली और सुधारक प्रशासन के विभिन्न खंडों में विशेषीकृत ज्ञान और नए कौशल के साथ प्रशिक्षित वृत्तिकों के पूल के लिए आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करने के लिए एक बहुशाखा वाले विश्वविद्यालय के रूप में होना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय के संबंध अन्य देशों में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के साथ होंगे, जो समकालीन अनुसंधान के आदान-प्रदान, शैक्षणिक सहयोग, पाठ्यक्रम डिजाइन, तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता आधारित होंगे। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में एक-एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 11 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 17 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन में अनुदेशों और अनुसंधान का उपबंध करता है। लोक सभा में विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 13 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 05 मिनट चर्चा की गई।

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में "सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना और अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करने की मांग करता है। लोक सभा में विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया। राज्य सभा में 4 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 25 मिनट चर्चा की गई।

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2021 यह स्पष्टता लाने के लिए कि स्थापित संस्थान और राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम के तहत स्थापित किए जाने वाले अन्य समान संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे और औषध शिक्षा और अनुसंधान का समन्वित विकास और मानकों आदि का अनुरक्षण सुनिश्चित करने हेतु एक केंद्रीय निकाय, जिसे परिषद कहा जाएगा, की स्थापना करने के लिए और ऐसे प्रत्येक संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को युक्तिसंगत बनाने के लिए और ऐसे संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के दायरे और संख्या को व्यापक बनाने के लिए। लोक सभा में 24 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 40 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 21 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 06 मिनट चर्चा की गई।

(x) कोविड-19 से संबंधित विधान

विधायी उपायों के माध्यम से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न प्रभावों को कम करने के लिए कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे।

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2020 संसद सदस्यों को देय वेतन को 01.04.2020 से एक वर्ष की अवधि तक 30% तक कम करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में एक-एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 15 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2020 के साथ 1 घंटा 20 मिनट चर्चा की गई।

मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2020 प्रत्येक मंत्री को देय आतिथ्य भत्ते को दिनांक 01.04.2020 से एक वर्ष की अवधि तक 30% तक कम करता है। राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा एक घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया गया था। राज्य सभा में 19 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 के साथ 1 घंटा 20 मिनट चर्चा की गई।

महामारी (संधोधन) अधिनियम, 2020 का आशय कोविड-19 महामारी के दौरान शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और संपत्ति के नुकसान सहित हिंसात्मक कार्यों की रोकथाम करना और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा में 3 घंटे और राज्य सभा में 2 घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 35 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 15 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 20 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 57 मिनट चर्चा की गई।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 संहिता के अधीन निगमित दिवाला निपटान प्रक्रिया के आरंभ को अस्थायी रूप से, प्रारंभ में छह मास या ऐसी अतिरिक्त अवधि, जो 25 मार्च, 2020 से एक वर्ष से अनधिक हो, के लिए कोविड-19 द्वारा प्रभावित कंपनियों को दिवाला कार्यवाहियों में धकेले जाने की आशंका का सामना किए बिना वित्तीय संकट से उभरने में सहायता प्रदान करने के लिए निलंबित करने का उपबंध करता है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी-अपनी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में दो-दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। लोक सभा में 18 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 3 घंटे 15 मिनट चर्चा की गई। राज्य सभा में 16 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक पर 1 घंटा 57 मिनट चर्चा की गई।

3. संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न संसदीय विषयों का सिंहावलोकन और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसदीय कार्य से जुड़े अधिकारियों को एक मंच प्रदान करना है।

इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:-

क्र.सं.	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	अधिकारियों का पदनाम
1.	19 से 21 जनवरी, 2015	13	कार्यकारी निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक/रेल मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी
2.	11 मार्च, 2019	172	सहायक अनुभाग अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव
3.	17 जुलाई, 2019	169	सहायक सचिव (भा.प्र.से. 2017 बैच)
4.	4 अक्तूबर, 2019	20 (लगभग)	परमाणु ऊर्जा विभाग (मुम्बई) के अधिकारी

[सहायक सचिवों (2017 बैच के नए आई.ए.एस. अधिकारी) के लिए संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम]

[दिनांक 04.10.2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया गया]

इस अवधि में 4-8 अप्रैल, 2016 के दौरान उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक और अरूणाचल प्रदेश राज्यों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

4. लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। इन मामलों को सामान्यतः प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के निपटान के पश्चात उठाया जाता है।

इस अवधि के दौरान लोक सभा में नियम के तहत 8034 मामले और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से 1293 मामले उठाए गए। इनमें से लोक सभा में 7482 मामले और राज्य सभा में 988 मामले निपटाए जा चुके हैं।

5. शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले

'शून्यकाल' के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य, पीठासीन अधिकारियों की अनुमति से, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 11265 मामले उठाए गए जो सभी लोक सभाओं के समकक्ष वर्षों की तुलना में अधिकतम हैं और राज्य सभा में 2332 मामले उठाए गए।

6. आश्वासन (लोक सभा और राज्य सभा)

संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया एक महत्वपूर्ण कार्य संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन है। मंत्री संसद में प्रश्नों, चर्चाओं आदि का उत्तर देते समय आश्वासन दे देते हैं। सदनों द्वारा विधिवत अनुमोदित ऐसी अभिव्यक्तियों की एक मानक सूची है जो आश्वासन बनती हैं। यह मानक सूची भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका के अनुबंध-3 में उपलब्ध है, जो इस मंत्रालय का प्रकाशन है और इसकी वेबसाइट (https://mpa.gov.in/) पर उपलब्ध है।

आश्वासन शाखा दोनों सदनों की कार्यवाहियों में से आश्वासनों को निकालती है और उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सामान्यत: 3 महीने के भीतर पूरा करने के लिए भेजती है। मंत्रालय/विभाग इन आश्वासनों के संबंध में अपने मंत्रियों द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन प्रतिवेदन इस मंत्रालय भेजते हैं, जो उन्हें संबंधित सदन के पटल पर रखता है। इस प्रकार आश्वासन पूरा होता है।

पिछले आठ वर्षों के दौरान, मानसून सत्र 2014 से बजट सत्र 2022 तक, लोक सभा की कार्यवाही से 7569 आश्वासन निकाले गए। इसी अवधि के दौरान, राज्य सभा की कार्यवाही से 4738 आश्वासन निकाले गए।

इस अवधि के दौरान लोक सभा आश्वासनों से संबंधित कुल 8445 पूर्ण कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। 205 आंशिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए। इस अवधि के दौरान राज्य

सभा आश्वासनों से संबंधित 4635 पूर्ण कार्यान्वयन प्रतिवेदन और 478 आंशिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गए।

इस मंत्रालय ने 9 अक्टूबर, 2018 को ओ.ए.एम.एस. (ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम) नामक एक सॉफ्टवेयर की शुरूआत करके, सदन की कार्यवाही से आश्वासनों को निकालने से लेकर कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने तक की आश्वासन कार्य की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया था। सभी हितधारकों के लिए रिकॉर्ड अब पारदर्शी और समान है। इससे कागज, अन्य भौतिक संसाधनों, जनशक्ति, समय आदि की भी बचत हुई है।

7. अनुसंधान संबंधी गतिविधियां

भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका

भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका का अद्यतनीकरण किया गया और इसे जुलाई, 2019 के दौरान जारी किया गया। संशोधित नियम पुस्तिका में विभिन्न परिवर्तन शामिल किए गए हैं जो संसदीय प्रक्रिया और पद्धति, विधायी प्रक्रियाओं, अनुदान मांगों की जांच करने में संसद की विभागीय संसदीय समितियों की भूमिका, विधेयकों, मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों, सदनों में पेश किए जाने वाले दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों में आए हैं। डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सरकारी आश्वासनों के संबंध में ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओ.ए.एम.एस.) की शुरूआत की है और इसे संशोधित नियम पुस्तिका में उचित रूप से शामिल किया गया है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियम बनाने के संबंध में विधायी विभाग के साथ परामर्श प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और उन्हें भी नियम पुस्तिका में शामिल किया गया है। यह नियम पुस्तिका भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अत्यंत उपयोगी है और संसदीय कार्य और प्रक्रियाओं को समझने में मार्गदर्शक पुस्तिका के रूप सहायता करती है।

संसदीय कार्य मंत्रालय की सांख्यिकीय पुस्तिका

यह संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपयोगी संसदीय आंकड़ों का एक वार्षिक संकलन है और इसमें पुर:स्थापित, पारित विधेयकों, सदनों की बैठकों, बजट, सदनों द्वारा निष्पादित अन्य कार्य, परामर्शदात्री समितियों इत्यादि से संबंधित विस्तृत सूचना शामिल है। सांख्यिकीय पुस्तिका सरकारी कर्मचारियों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और उन सभी के लिए एक उपयोगी दस्तावेज है जिन्हें संसदीय गतिविधियों के अध्ययन में रूचि है। संसदीय कार्य मंत्रालय की सांख्यिकीय पुस्तिका का प्रकाशन वार्षिक रूप से किया जा रहा है। सांख्यिकीय पुस्तिका, 2021 को अप्रैल, 2022 में संशोधित और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी पुस्तिका

संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी पुस्तिका, जो मंत्रालय के अधिकारियों को अपना कार्य करने में मदद करती है, इस मंत्रालय का 2004 में प्रथम बार निकाला गया एक और प्रकाशन है, जिसे सितंबर, 2019 में अद्यतित किया गया था।

उपरोक्त सभी तीनों प्रकाशन इस मंत्रालय की वेबसाइट (https://mpa.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

<u>नागरिक चार्टर</u>-

संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्य में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय सरकार और संसद के बीच एक महत्वपूर्ण अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराता है। यह मंत्रालय, यद्यपि आकार में छोटा है फिर भी विधायी कार्य, संसदीय आश्वासनों और परामर्शदात्री समितियों के प्रबंधन से लेकर संसद सदस्यों के कल्याण तक और युवा संसद कार्यक्रमों के आयोजन जैसी संपूर्ण गतिविधियों को देखता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय नागरिकों के एक निकाय, जिसमें संसद और इसके सदस्यों सहित मंत्रालय/विभाग तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों के अन्य संगठन शामिल हैं, को विस्तृत और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। नागरिक चार्टर का प्रकाशन नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। नवीनतम नागरिक चार्टर जनवरी, 2022 में अद्यतित किया गया है।

8. युवा संसद

<u>युवा संसद (ऑफलाइन)</u>

युवा संसद प्रतियोगिता की इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही चार योजनाएं हैं:

1. दिल्ली के विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता
2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
3. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
4. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 4 योजनाओं के तहत युवा संसद प्रतियोगिताएं 1536 संस्थाओं में आयोजित की गई जिसमें 84480 विद्यार्थी शामिल हुए और 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

<u>युवा संसद (ऑनलाइन)</u>

मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के दायरे को अब तक अनछुए वर्गों और देश के कौने-कौने तक विस्तारित करने के लिए एन.आई.सी. की तकनीकी सहायता से युवा संसद का वेब पोर्टल विकसित किया गया था। पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

8 अप्रैल, 2022 तक, 8021 संस्थानों से पंजीकरण के अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 3887 पंजीकरण स्वीकृत किए गए हैं, 104 पंजीकरण अस्वीकार कर दिए गए हैं और शेष पंजीकरण के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है।

प्रतिभागियों के ई-प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2019 में युवा संसद पर एक वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किया गया था। इसके बाद, इसका अद्यतन संस्करण भी आजादी का अमृत महोत्सव के सांकेतिक सप्ताह के दौरान उपयोग के लिए तैयार किया गया है।

<u>युवा संसद की विशेष बैठकें</u>

जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक हर महीने कम से कम एक संस्थान में आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर युवा संसद की विशेष बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अब तक ऐसी 6 विशेष बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

9. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

इस अवधि के दौरान, 3 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन यानी सोलहवां, सत्रहवां और अठारहवां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन क्रमश: 13-14 अक्टूबर 2014, 29-30 सितंबर, 2015 और 08-09 जनवरी, 2018 को क्रमशः गोवा, विशाखापत्तनम और उदयपुर में आयोजित किया गए।

10. सांसद परिलब्धियां

<u>संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953</u>

राज्य सभा के माननीय सभापति के वेतन को वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से संशोधनों द्वारा रू.1.25 लाख से बढ़ाकर रू.4 लाख प्रति माह कर दिया गया है।

<u>संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन</u>

संसद सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन में 01 अप्रैल, 2018 से निम्न प्रकार से संशोधन किया गया:-

- वेतन को रू.50,000/- से बढ़ाकर रू.1,00,000/- प्रति माह किया गया।
- मूल पेंशन को रू.20, -/000से बढ़ाकर रू.25, -/000प्रति माह किया गया। पांच वर्ष से अधिक की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को रू.1500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रू.2,000/- प्रतिमाह किया गया।
- निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रू.45,000/- से बढ़ाकर रू.70,000/- किया गया।
- कार्यालय व्यय भत्ता रू.40,000/- से बढ़ाकर रू.60,000/- किया गया।

उपरोक्त प्रावधान पांच वर्ष की अवधि के लिए किए गए थे। इसके बाद दिनांक 01.04.2023 से शुरू होने वाले हर पांच वर्ष में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के तहत लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।

<u>संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन</u>

कोविड-19 महामारी से पैदा हुई तत्कालिक आवशयकताओं को पूरा करने के लिए मितव्ययिता उपायों के रूप में 01 अप्रैल, 2020 से शुरू एक वर्ष की अवधि के लिए संसद सदस्यों के वेतन और अन्य भत्तों में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 07.04.2020 को प्रख्यापित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के माध्यम से निम्नलिखित कटौती की गई थी। संबंधित विधेयक दिनांक 18.09.2020 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 24.09.2020 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई थी।

- वेतन को रू.1,00,000/- से घटाकर रू.70,000/- प्रतिमाह किया गया।
- निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को रू.70,000/- से घटाकर रू.49,000/- प्रतिमाह किया गया।
- कार्यालय व्यय भत्ते को रू.60,000/- से घटाकर रू.54,000/- प्रतिमाह किया गया।

11. परामर्शदात्री समितियां

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए एक अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली की शुरूआत वर्ष 1954 में की गई थी ताकि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उनके कार्यान्वयन के तरीको पर सरकार और संसद सदस्यो के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा दिया जा सके और सरकार को अपने नीतिगत मामलों, कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। पिछले 8 वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

- 16वीं लोक सभा में 35 परामर्शदात्री समितियो का गठन किया गया।
- 16वीं लोक सभा के दौरान 243 बैठकें हुईं।
- 17वीं लोक सभा में 38 परामर्शदात्री समितियो का गठन किया गया।
- 17वीं लोक सभा के दौरान 122 बैठकें हुईं (31 मार्च, 2022 तक)।

12. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

- नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है जिसे देशभर के सभी 39 विधानमंडलों के कामकाज का डिजिटलीकरण करने और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तर्ज पर कागज रहित बनाने के लिए शुरू किया गया था। सर्वोच्च समिति ने 15 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में 'ई-विधान' और 'ई-संसद' एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को 'नोडल मंत्रालय' बनाने का निर्णय लिया था और एन.आई.सी. के सहयोग से सभी सदनों में 'ई-विधान' जिसे अब राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का नाम दिया गया है, को बढ़ावा देने और उसे शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया था।

- नेवा को एक सदस्य केंद्रित, उपकरण तटस्थ और प्रयोक्तानुकूल ऐप के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया है जो सदस्यों को सदन के विविध कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने योग्य बनाने में मदद करती है। नेवा सभी विधायी सदनों के लिए सुरक्षा, आपदा पुन:प्राप्ति और रखरखाव के साथ नेशनल क्लाउड-मेघराज पर होस्ट की गई एक सामान्य डिजिटल एप्लिकेशन है।

- नेवा एप्लिकेशन उपकरण तटस्थ है जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, आई पैड और स्मार्ट फोन पर चलती है। यह एप्लिकेशन विधानमंडलों द्वारा अपने सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों, समाचारों जैसी समस्त सुसंगत सूचना उपलब्ध कराती है। संपर्क विवरण, प्रक्रिया नियमों, कार्यसूची, तारांकित/अतारांकित प्रश्नों और उत्तरों, पुर:स्थापन, विचारण और पारण के लिए विधेयकों के पाठ, सभापटल पर रखे जाने वाले सभी दस्तावेजों के पाठ, समिति की रिपोर्टों, सदन की कार्यवाहियों, कार्यवाहियों के सार, अस्थायी कलैंडर और मंत्रालयों के रोटेशन, समाचारों और प्रेस विज्ञप्तियों और संदर्भ सामग्री, समिति की बैठकों, उनकी कार्यसूची सहित सभी समितियों की संरचना से संबंधित सूचना, सदस्यों के व्यक्तिगत दावों जैसे कि वेतन और भत्तों इत्यादि से संबंधित सूचना नेवा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस एप्लिकेशन पर लोक सभा/राज्य सभा टीवी के सीधे प्रसारण की सुविधा भी उपलब्ध है।

- सदन के भीतर, नेवा डिजिटल हाउस मॉड्यूल एक डिजिटल ईबुक प्रारूप का समर्थन करेगा जो सदस्य के डेस्क पर स्थापित टच स्क्रीन डिवाइस पर सदस्य के लॉगिन के माध्यम से सुलभ होगा। डिजिटल हाउस मॉड्यूल सदन को डिजिटल रूप से चलाने के साथ साथ ई-मतदान और ई-उपस्थिति को भी सक्षम करेगा।

- नागरिकों को विधेयकों, प्रश्न-उत्तरों, सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेज़ों तक आसान पहुँच प्रदान करके, नेवा न केवल लोकतंत्र को हमारे नागरिको के करीब लाएगा, बल्कि नागरिकों को लोकतंत्र के साथ सार्थक जुड़ाव के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त भी बनाएगा।

- नेवा सार्वजनिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों विकसित कर लिए गए हैं और यह प्लेटफार्म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किए जाने के लिए तैयार है।

- नेवा को शुरू करने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से परामर्श किया तथा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्षमता निर्माण के साथ-साथ वित्तीय सहायता के संदर्भ में पूर्ण तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) का गठन किया। राज्यों की विधान सभाओं/परिषदों के नोडल और अन्य अधिकारियों को नेवा ऐप की विशेषताओं और कार्यों से परिचित कराने के लिए 24 और 25 सितंबर, 2018 को संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

- केन्द्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू), राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाओं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया:-

    - चरण-I की संख्या (2 दिवसीय कार्यशाला) - 23 सदन
    - चरण-II की संख्या (3 दिवसीय कार्यशाला) - 14 सदन
    - चरण-III की संख्या (2 दिवसीय कार्यशाला) - बिहार विधान परिषद में और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्यों का प्रशिक्षण।
    - वीडियो कॉन्फ्रेंस की संख्या - 28

- इसके अलावा, राज्य सभा और लोक सभा के अधिकारियों को उनके सचिवालयों में नेवा की वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन को अपनाने हेतु दिशानिर्दिष्ट करने के लिए संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए गए हैं।

- नेवा एमएमपी को 673.94 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय (केंद्र की हिस्सेदारी 423.60 करोड़ रुपये और शेष 250.34 करोड़ रुपये राज्य की हिस्सेदारी) के साथ 15.01.2020 को लोक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और संसदीय कार्य मंत्री ने भी इसे 27.01.2020 को मंजूरी दे दी है।

- परियोजना के तहत वित्त पोषण पैटर्न केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) पैटर्न के अनुसार है यानी 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%.

- योजना की अधिसूचना, दिशानिर्देश और समझौता ज्ञापन जारी किए जा चुके हैं और नेवा की वेबसाइट (https://www.neva.gov.in) और संसदीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.mpa.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

- नेवा के कार्यान्वयन के लिए 18 राज्यों {20 सदनों} अर्थात् पंजाब, ओडिशा, बिहार {दोनों सदन}, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश {दोनों सदन} और झारखंड के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इनमें से 13 राज्य {15 सदन} अर्थात पंजाब, ओडिशा, बिहार {दोनों सदन}, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, मेघालय, हरियाणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश {दोनों सदन} और मिजोरम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं।

- नेवा के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त 14 सदनों अर्थात पंजाब, ओडिशा, बिहार {दोनों सदन}, नागालैंड, मणिपुर, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम और उत्तर प्रदेश (दोनों सदन) को जारी की जा चुकी है।

- इसके अलावा, ओडिशा, बिहार विधान परिषद, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश विधानसभा और सिक्किम को नेवा कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी की दूरी किस्त भी जारी की जा चुकी है।

- बिहार विधान परिषद जुलाई, 2019 में मानसून सत्र के दौरान नेवा के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्नों को अपनाने वाला देश का पहला सदन बन गया था।

- ओडिशा ने नेवा के माध्यम से अपने राज्य का बजट डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया है।

- नागालैंड विधानसभा अपने पूरे बजट सत्र, 2022 को डिजिटल रूप से संचालित करके पूरी तरह से कागज-रहित हो गई है।

13. प्रोटोकॉल और कल्याण

1. संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित सद्भावना शिष्टमण्डलों के विदेश दौरे

किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंध मजबूत करने में योगदान देते हैं। विशेष रूप से भारत जैसे लोकतांत्रिक और विकासशील देश के लिए कुछ संसद सदस्यों और गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करना और उनके माध्यम से अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य नीति निर्माताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके भारत के पक्ष में उनका समर्थन हासिल में उनकी सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग करना वास्तव में आवश्यक और उपयोगी है। नि:संदेह, उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान कारगर सिद्ध हुआ। अत: संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के नेतृत्व में संसद सदस्यों के तीन से चार शिष्टमंडल विदेशों के दौरे करते हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों में अपने-अपने राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतक और सदस्य शामिल होते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय अन्य देशों से ऐसे शिष्टमंडलों का स्वागत भी करता है।

विदेश मंत्रालय और भारत के संबंधित मिशनों के परामर्श से और प्रधान मंत्री के अनुमोदन से, पिछले आठ वर्षों के दौरान सांसदों के छह सद्भावना शिष्टमंडल विदेश भेजे गए अर्थात (i) 26.10.2014 से 7.11.2014 के दौरान मेक्सिको, अर्जेंटीना और चिली; (ii) 24.05.2015 से 04.06.2015 के दौरान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड; (iii) 10.04.2016 से 20.04.2016 के दौरान सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया; (iv) 16.10.2016 से 23.10.2016 के दौरान पुर्तगाल और स्पेन; (v) 29.05.2017 से 06.06.2017 के दौरान स्वीडन, नॉर्वे और इज़राइल तथा (vi) 15.10.2018 से 19.10.2018 के दौरान जर्मनी और इटली।

2. विदेश से आए शिष्टमंडलों के साथ बैठक

विदेशों में शिष्टमंडल भेजने के अलावा, विदेशों से आए विभिन्न शिष्टमंडलों ने संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों से मुलाकात की और संसद के कामकाज और पारस्परिक हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जैसे कि (i) 27.06.2014 को जापानी संसदीय शिष्टमंडल, (ii) 09.12.2014 को रोमानियाई संसदीय शिष्टमंडल, (iii) 13.03.2015 को जर्मन संसदीय प्रतिनिधिमंडल, (iv) 16.03.2015 को यूरोपीय संसद से संसदीय शिष्टमंडल, (v) 27.04.2015 को स्पेन का संसदीय शिष्टमंडल, (vi) 27.04.2015 को चेक गणराज्य का संसदीय शिष्टमंडल, (vii) 11.06.2015 को इंडोनेशियाई संसदीय शिष्टमंडल, (viii) 10.08.2015 को भूटान का संसदीय शिष्टमंडल, (ix) 4.12.2015 को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक शिष्टमंडल, (x) 10.12.2015 को फिजी का शिष्टमंडल, (xi) 28.03.2017 को कनाडा का संसदीय शिष्टमंडल, और (xii) 14.04.2022 को घाना का संसदीय शिष्टमंडल।

3. संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। यह मंत्रालय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, ऐसी 29 बैठकें बुलाई गई।

14. संविधान दिवस समारोह

संविधान दिवस, 2020

मंत्रालय ने 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस, 2020 मनाया। इस अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति के नेतृत्व में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। "संविधान के मौलिक सिद्धांत और मूल्य - विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक अंतरापृष्ठ" पर एक वेबिनार भी पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित की गई जिसमें कोई भी भाग ले सकता था। संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वेबिनार में शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ता डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय थे।

संविधान दिवस, 2021

आजादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, मंत्रालय को 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस, 2021 को मनाने के लिए अग्रणी मंत्रालय बनाया गया था। समारोह को देश के कोने-कोने में फैलाने के लिए, सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारो के साथ व्यापक पत्राचार किया गया।

माननीय राष्ट्रपति के साथ 26.11.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन पर विशेष बल दिया गया था और इसलिए स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/सरकारी कार्यालयों/संस्थानों आदि में माननीय राष्ट्रपति के साथ प्रस्तावना के वाचन हेतु मंत्रालयों/विभागों/ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था। जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने निम्नलिखित वेब पोर्टल भी विकसित किए:-

1. "भारत के संविधान की प्रस्तावना का 23 भाषाओं में (22 राजभाषाएं और अंग्रेजी) में ऑनलाइन वाचन" और "संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी" जिसमें कोई भी कहीं से भी भाग ले सकता है और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।
2. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित की गई गतिविधियों को अपलोड करने के लिए पोर्टल।

उपरोक्त पोर्टल्स को माइक्रोसाइट mpa.gov.in/constitution-day पर उपलब्ध कराया गया था।

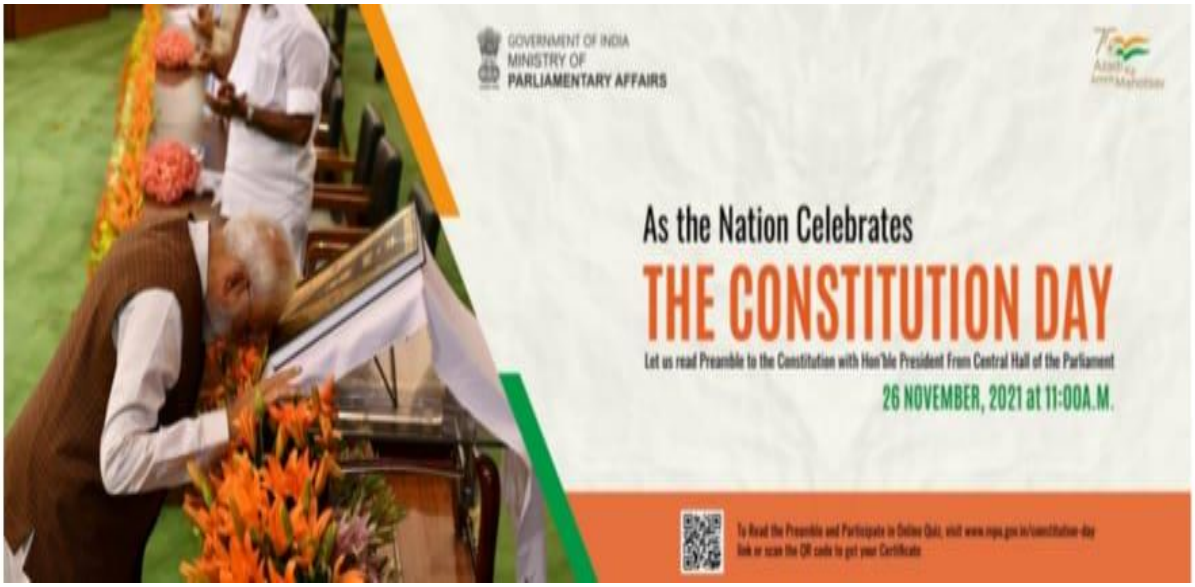

इस महोत्सव के भाग के रूप में, मुख्य कार्यक्रम 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11:00 बजे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ संविधान दिवस, 2021 समारोह का संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से नेतृत्व किया था।

माननीय राष्ट्रपति ने ''संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी'' पर इस मंत्रालय के पोर्टल का भी शुभारंभ किया।

अनुबंध

16वीं लोक सभा के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

क्र.सं.	विधेयक का नाम
1.	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014
2.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014
3.	वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2014
4.	आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014
5.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014
6.	विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2014
7.	विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2014
8.	विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2014
9.	विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2014
10.	राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान विधेयक, 2014
11.	संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014
12.	दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2014
13.	विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2014
14.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014
15.	श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2014
16.	कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2014
17.	वाणिज्यिक पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2014
18.	वाणिज्यिक पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014
19.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014
20.	योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक, 2014
21.	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014
22.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014
23.	शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014
24.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधियां (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014
25.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015
26.	बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015
27.	मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2015
28.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014
29.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015
30.	कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015
31.	भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2015
32.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2015
33.	संविधान (119वां संशोधन) विधेयक, 2013
34.	विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2015

35.	वित्त विधेयक, 2015
36.	विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2015
37.	संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2015
38.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2015
39.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2015
40.	सरकारी स्थान (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2015
41.	विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2015
42.	विनियोग (रेल) विधेयक, 2015
43.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015
44.	विनियोग विधेयक, 2015
45.	आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015
46.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2015
47.	काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण विधेयक, 2015
48.	विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 2015
49.	विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2015
50.	दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015
51.	परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015
52.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2015
53.	विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2015
54.	विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2015
55.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2015
56.	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015
57.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015
58.	परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015
59.	बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015
60.	चीनी उपकर विधेयक, 2015
61.	निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2016
62.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2016
63.	विमानवहन (संशोधन) विधेयक, 2016
64.	भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2016
65.	विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2016
66.	विनियोग (रेल) विधेयक, 2016
67.	राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2016
68.	भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2016
69.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016
70.	विनियोग विधेयक, 2016
71.	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2016
72.	सिख गुरूद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016
73.	विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2016
74.	विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016

75.	निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक, 2016
76.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016
77.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016
78.	यान-हरण निवारण विधेयक, 2016
79.	राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016
80.	वित्त विधेयक, 2016
81.	विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016
82.	उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016
83.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
84.	उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016
85.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र विधेयक, 2016
86.	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2016
87.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
88.	दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016
89.	भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2016
90.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
91.	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
92.	बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016
93.	लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
94.	बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2016
95.	संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2016
96.	प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016
97.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
98.	विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2016
99.	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2016
100.	कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016
101.	विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2016
102.	विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2016
103.	नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016
104.	मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
105.	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) विधेयक, 2017
106.	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017
107.	प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2017
108.	विनियोग विधेयक, 2017
109.	विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017
110.	वित्त विधेयक, 2017
111.	विनियोग (रेल) विधेयक, 2017
112.	विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 2017
113.	मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2017
114.	कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2017

115.	केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017
116.	एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक, 2017
117.	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017
118.	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017
119.	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017
120.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017
121.	मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017
122.	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017
123.	नावधिकरण (समुद्री दावों की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2017
124.	सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017
125.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017
126.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017
127.	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017
128.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017
129.	बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017
130.	विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2017
131.	विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2017
132.	केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
133.	एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 2017
134.	पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017
135.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017
136.	भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017
137.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
138.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2017
139.	निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017
140.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
141.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017
142.	भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
143.	भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017
144.	केंद्रीय माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017
145.	विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2017
146.	विनियोग विधेयक, 2018
147.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2018
148.	उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017
149.	वित्त विधेयक, 2018
150.	विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018
151.	विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018
152.	भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018
153.	विनिर्दिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2018

154.	भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018
155.	परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018
156.	स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2018
157.	संविधान (102वां संशोधन) विधेयक, 2018
158.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2018
159.	दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018
160.	स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017
161.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018
162.	राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018
163.	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
164.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018
165.	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018
166.	विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2018
167.	विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2018
168.	केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
169.	एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
170.	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
171.	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018
172.	स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहु-नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018
173.	विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2018
174.	नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017
175.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017
176.	संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019
177.	वित्त विधेयक, 2019
178.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019
179.	विनियोग विधेयक, 2019
180.	वैयक्तिक विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

17वीं लोक सभा के पहले तीन वर्षों के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

क्र.सं.	विधेयक का नाम
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019
2.	जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
3	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
4	केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019
5	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
6	दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
7	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019
8	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019
9	राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019
10	नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019
11	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019
12	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019
13	मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
14	सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
15	अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019
16	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019
17	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019
18	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019
19	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019
20	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
21	विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019
22	मजदूरी संहिता, 2019
23	निरसन और संशोधन विधेयक, 2019
24	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
25	मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2019
26	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019
27	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
28	सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
29	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
30	सर्वोच्च न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019
31	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019
32	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019
33	चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019
34	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019
35	इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और

	विज्ञापन निषेध) विधेयक, 2019
36	विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019
37	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का आमेलन) विधेयक, 2019
38	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति मान्यता) विधेयक, 2019
39	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019
40	पोतों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019
41	आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019
42	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019
43	संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
44	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
45	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019
46	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2020
47	खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020
48	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020
49	प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020
50	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2020
51	विनियोग विधेयक, 2020
52	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020
53	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020
54	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020
55	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020
56	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020
57	वित्त विधेयक, 2020
58	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020
59	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020
60	वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020
61	आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020
62	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020
63	कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020
64	कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020
65	मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2020
66	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020
67	महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020
68	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020
69	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020
70	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक, 2020
71	आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020
72	बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
73	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020
74	राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

75	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020
76	कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों में छूट और संशोधन) विधेयक, 2020
77	अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020
78	विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020
79	उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020
80	औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
81	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
82	जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020
83	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020
84	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020
85	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021
86	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021
87	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021
88	महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2021
89	गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021
90	बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021
91	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021
92	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
93	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
94	विनियोग विधेयक, 2021
95	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2021
96	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
97	पुडुचेरी विनियोग विधेयक, 2021
98	पुडुचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2021
99	वित्त विधेयक, 2021
100	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021
101	राष्ट्रीय वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और विकास बैंक विधेयक, 2021
102	राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा वृत्ति आयोग विधेयक, 2021
103	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021
104	नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021
105	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
106	फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021
107	अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021
108	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
109	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
110	नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021
111	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021
112	आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
113	सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
114	निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021

115	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
116	अधिकरण सुधार विधेयक, 2021
117	कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
118	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
119	संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021
120	साधारण बीमा कारबार (युक्तिकरण) संशोधन विधेयक, 2021
121	राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
122	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
123	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2021
124	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2021
125	कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021
126	सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020
127	सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019
128	राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2021
129	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
130	बांध संरक्षा विधेयक, 2019
131	केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
132	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021
133	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
134	विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
135	निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
136	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022
137	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022
138	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2022
139	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022
140	विनियोग विधेयक, 2022
141	वित्त विधेयक, 2022
142	संविधान (अनूसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
143	चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2022
144	दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
145	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
146	दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022